संख्या–733/2016/17(120)/XXVII(8)/04

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांकः 09 नवम्बर, 2016

विषयः– व्यापार कर की पुरानी बकाया एवं ब्याज/अर्थदण्ड की माफी हेतु 'वन टाईम सेटलेंट स्कीम, 2016–17' लागू किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3373/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/पत्रा0सं0 71/विधि अनु0/2016–17, दिनांक 29.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यापार कर की पुरानी बकाया के समापन एवं ब्याज/अर्थदण्ड की माफी के सम्बन्ध में आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त इस प्रकार की एक "वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम" लाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना को लाये जाने का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि बहुत पुरानी बकाया जिसकी वसूली मे व्यावहारिक कठिनाई आ रही है, को माफ करने तथा ऐसे बकायेदार जो मूल बकाया की राशि तो जमा कराना चाहते है, परन्तु अर्थदण्ड व ब्याज की अत्यधिक देनदारी के कारण इसे जमा नहीं करा पाते हैं, उन्हें इस प्रकार की बकाया जमा करने का अवसर प्रदान कराना है। योजना के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

(1) यह पुरानी बकाया के समापन एवं ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना "वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम" 2016–17 कहलाएगी और यह योजना जारी होने की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेगी।

(2) उक्त योजना दिनांक 01.04.1988 से दिनांक 31.03.2010 तक सृजित व्यापार कर/मूल्यवर्धित कर/केन्द्रीय बिक्रीकर एवं प्रवेश कर की बकाया एवं उस पर देय ब्याज/अर्थदण्ड से सम्बन्धित होगी। अर्थदण्ड की वही राशि योजना में सम्मिलित होगी, जो मूल व्यापार कर/मूल्यवर्धित कर/केन्द्रीय बिक्रीकर/प्रवेश कर की धनराशि जमा न करने से सम्बन्धित हो।

(3) (i) यदि ऐसी बकाया की मूल राशि "योजना" के निर्गत होने से पूर्व जमा कर दी गयी है तो उसे व्यापार कर/वैट नियमावली में प्राविधानित समय मे जमा न करने के कारण आरोपित अर्थदण्ड एवं देय ब्याज को माफ कर दिया जायेगा।

(ii) योजना की अवधि में एक लाख तक बकाया के सम्बन्ध में बकाया की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर देय ब्याज एवं अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत धनराशि माफ कर दी जाएगी।

(iii) योजना की अवधि मे जमा की जाने वाली धनराशि एक लाख से अधिक परन्तु 10 लाख तक की बकाया के सम्बन्ध में बकाया की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर देय ब्याज की 90 प्रतिशत धनराशि और अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत धनराशि माफ कर दी जायेगी।

(iv) योजना की अवधि में जमा की जाने वाली धनराशि दस लाख से अधिक सम्बन्ध में बकाया की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर देय ब्याज की 75 प्रतिशत धनराशि और अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत धनराशि माफ कर दी जायेगी।

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
7750
11/11/2016
अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

Dev sir draft 2016

(v) दो लाख से अधिक के बकायेदारों के लिये यह सुविधा अनुमन्य होगी कि यदि वे योजना अवधि में 25 प्रतिशत बकाया जमा कर देते हैं और 75 प्रतिशत अवशेष बकाया के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोषानुसार जमानत प्रस्तुत करते हैं तो अवशेष धनराशि वह 1 वर्ष की अवधि में 2 समान किश्तों में जमा करा सकते हैं।

(4) उपरोक्त प्रकार से बकाया माफी की गणना वर्षवार बकाया के आधार पर की जायेगी।

(5) यदि व्यापारी द्वारा बकाया के सम्बन्ध में अपील अथवा पुनरीक्षण दायर किये गये हैं, तो योजना का लाभ लेने के लिये व्यापारी द्वारा अपील/पुनरीक्षण याचिका वापस ले ली जायेगी। इस सम्बन्ध में न्यायालय से वाद वापसी सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

(6) उक्त वर्षो की सृजित मांग व उस पर देय अर्थदण्ड/ब्याज यदि पूर्व में जमा करा दिया गया है तो वह इस योजना के अन्तर्गत वापसी योग्य न होगा।

(7) किसी बकायेदार को योजना का लाभ लेने हेतु सभी वर्षो की बकाया हेतु विकल्प लेना अनिवार्य होगा। किसी बकायेदार को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी विभिन्न वर्षो की सम्पूर्ण बकाया में से केवल कुछ एक वर्षो की बकाया अथवा किसी विशिष्ट वर्ष की सम्पूर्ण बकाया में से उसके कुछ भाग के सम्बन्ध में "वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम" का विकल्प अपनाये।

(8) उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.04.1980 से 31.03.1992 के मध्य सृजित ऐसी मांग, जिसमें फर्म बन्द हो चुकी है और बकायादारों के सम्बन्ध में संयुक्त जांच के उपरान्त भी कोई पता नहीं लग पाया है और बकायादारों के पास कोई चल–अचल सम्पत्ति भी नहीं है, से सम्बन्धित व्यापार कर/मूल्यवर्धित कर की बकाया राशि एवं इस राशि पर देय ब्याज/अर्थदण्ड को माफ करने का अधिकार विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) का अनुमोदन लेकर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को होगा।

(9) योजना के अन्तर्गत माफी के प्रत्येक मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक "माफी आदेश" पारित किया जाएगा। ऐसा आदेश, संलग्न प्रारूप में, आर0सी0 वार अलग–अलग, पारित किया जाएगा। आदेश की कार्यालय प्रति कर निर्धारण पत्रावली पर रखते हुए, एक प्रति बकायेदार को उपलब्ध करायी जाएगी तथा प्रति गोपनीय पत्रावली पर रखी जाएगी।

उक्त योजना के अन्तर्गत दी गयी छूट के आधार पर योजना की अवधि में बकाया में से अधिक से अधिक धनराशि जमा कराये जाने का प्रयास कराया जाय। योजना का प्रचार–प्रसार सूचना विभाग के माध्यम से भी कराया जाय। प्रत्येक माह योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि की प्रगति रिपोर्ट अधिकारीवार शासन को प्रेषित की जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी इस योजना को सफल बनाने के लिये प्रयासरत हैं। अधिकारी का वार्षिक मूल्यांकन उनके स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत जमा करायी गयी धनराशि से भी होगा।

समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को शासन के निर्देशों से अवगत कराते हुए योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

कर निर्धारण कार्यालय का नाम.....

संख्या..... दिनांक.....

''माफी आदेश''

(बकाया पर देय 'ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी हेतु शासनादेश दिनांक..... द्वारा निर्गत योजना के अन्तर्गत)

1— बकायादार ब्यौहारी / व्यक्ति का नाम व पता—

2— बकाया की मूल राशि—

3— कर निर्धारण वर्ष—

4— आदेश संख्या व दिनांक जिसके द्वारा बकाया सृजित की गयी—

5— बकाया सृजन का दिनांक—

6— सम्बन्धित आर0सी0 संख्या व दिनांक—

7— आर—3 का क्रमांक (जिस पर मांग दर्ज है)

8— बकाया की मूल राशि जमा करने सम्बन्धी चालानों की संख्या व दिनांक—

9— ब्याज की राशि जो माफ की गयी—

10— अर्थदण्ड की राशि जो माफ की गयी—

11— योग अंकों में (8+9)—

12— योग शब्दों में—

ह0—
अधिकारी का नाम—
पदनाम—

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ—

(1) एक प्रति.....बकायादार को प्रेषित।

(2) एक प्रति गोपनीय पत्रावली हेतु।

ह0—
अधिकारी का नाम—
पदनाम—

parivad